दिनांक 03.02.2020 को अपराह्न 1.00 बजे उपायुक्त देवघर की अध्यक्षता में सम्पन्न District Excecutive Committee (DEC) की बैठक की कार्यवाही:–

उपायुक्त देवघर की अध्यक्षता में दिनांक 03.02.2020 को अपराह्न 1.00 बजे से जिला स्तर पर उद्यमियों के समस्याओं का निराकरण एवं सिंगल विंडो सिस्टम के तहत उद्यमियों/जनसाधारण से प्राप्त आवेदनों के अद्यतन स्थिति की समीक्षा हेतु District Excecutive Committee (DEC) की बैठक सम्पन्न हुई।

उपस्थितिः– परिशिष्ठ "क"

कार्यवाहीः–

उपायुक्त देवघर की अध्यक्षता में बैठक आरम्भ हुई। उपायुक्त महोदया द्वारा बैठक हेतु प्रस्तुत कार्यावली के अनुसार सर्वश्री सरोज पंडित एंड अदर्स एवं सर्वश्री गिरिराज ट्रेडर्स के मामले में सम्बन्धित पदाधिकारी से निष्पादन सम्बन्धी जानकारी प्राप्त की गयी जो निम्न प्रकार है:–

1. सर्वश्री सरोज पंडित एंड अदर्स के मामले (Distance from forest) में प्रमंडलीय वन पदाधिकारी, देवघर द्वारा सूचित किया गया कि सम्बन्धित नक्सा प्राप्त हो गया है। शीघ्र ही मामले का निष्पादन कर लिया जाएगा।

2. सर्वश्री गिरिराज ट्रेडर्स से सम्बन्धित मामले (Factory Licence & DOP) के आलोक में निम्न निदेश दिए गए :–

(i) बैठक में फैक्ट्री इंस्पेक्टर, देवघर अनुपस्थित पाये गये जिसके कारण इनसे सम्बन्धित मामले की समीक्षा नहीं हो पायी। उपायुक्त द्वारा इस पर खेद व्यक्त करते हुए इनसे इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण पूछने का निदेश दिया गया।

(ii) क्षेत्रीय उप निदेशक, जियाडा द्वारा सूचित किया गया कि जाँच टीम का गठन कर लिया गया है, वाणिज्यिक उत्पादन तिथि (D.O.P.) निर्धारण की कार्रवाई की जा रही है।

3. उपायुक्त महोदया द्वारा लम्बित सभी मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए ईज ऑफ डूईंग बिजनेस मैनेजर को तत्परता के साथ सभी आवेदकों एवं सम्बन्धित विभाग से सम्पर्क कर आवेदनों को निष्पादित कराने को कहा गया।

4. झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद से सम्बन्धित सिंगल विंडों पोर्टल पर 49 लम्बित मामले पर चिन्ता व्यक्त करते हुए सभी मामलों को शीघ्र निष्पादित करने को कहा गया। साथ ही अन्य विभागों के पदाधिकारियों को अपने विभाग से सम्बन्धित आवेदनों को निष्पादित करते हुए अद्यतन स्थिति के साथ अगली बैठक में उपस्थित होने का निदेश दिया गया।

Scanned by CamScanner

5. संथाल परगना चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि द्वारा सूचित किया गया कि बिहार राज्य वित्त निगम के द्वारा जमीन ऑक्सन के लिए टेंडर निकाल कर रूपया/ EMD प्राप्त किया गया है लेकिन इस पर आगे की कार्रवाई नहीं की जा रही है। इस क्रम में क्षेत्रीय उप निदेशक, जियाडा को इससे सम्बन्धित जानकारी प्राप्त कर अवगत कराने को कहा गया।

6. संथाल परगना प्रक्षेत्र इंडस्ट्रीयल एसोशिएशन के अध्यक्ष द्वारा सूचित किया गया कि देवीपुर अवस्थित औद्योगिक क्षेत्र के जमीन पर ग्रामीणों द्वारा अनधिकृत रूप से निर्माण कार्य किया जा रहा है जबकि उक्त स्थल पर धारा 107 लगा हुआ है। इस पर उपायुक्त महोदया द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, देवघर को जॉच कर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया ।

7. औद्योगिक क्षेत्र जसीडीह में लगाये गये छः स्ट्रीट लाईट की चोरी होने की शिकायत पर क्षेत्रीय उप निदेशक, जियाडा को जॉच कर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया ।

बैठक की कार्यवाही सधन्यवाद समाप्त हुई।

06.2.2020

महाप्रबंधक,
जिला उद्योग केन्द्र, देवघर

उपायुक्त,
देवघर

ज्ञापांक 75 /देवघर, दिनांक 12/02/2020

प्रतिलिपि– सभी सम्बन्धित पदाधिकारी/सदस्य, District Excecutive Committee (DEC), देवघर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उपायुक्त
देवघर

ज्ञापांक 75 /देवघर, दिनांक 12/02/2020

प्रतिलिपि– उद्योग निदेशक, झारखण्ड, राँची को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

12/2
महाप्रबंधक,
जिला उद्योग केन्द्र, देवघर

Scanned by CamScanner